राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 1(16)शिक्षा–1 / 2007 जयपुर, दिनांक :– 21.4.15

आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,
राज0 जयपुर।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राज0 बीकानेर

विषय :– मा. मुख्यमंत्री महो. की वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा सं0 102 की क्रियान्विति अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु दिशा निर्देश बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मा. मुख्यमंत्री महो. की वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा सं0 102 की क्रियान्विति अंतर्गत ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि जारी दिशा निर्देशानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की क्रियान्विति कराने का श्रम करावें।

उक्त दिशा निर्देश आयोजना विभाग की आई डी सं0 55 दिनांक 9.4.2015 एवं वित्त (व्यय–1) विभाग की आई डी सं0 101501292 दिनांक 20.04.2015 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार

भवदीय

21/04/15

(नसीरुद्दीन कुरैशी)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग राज. जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राज0।
4. समस्त शिक्षा उपनिदेशक,माध्यमिक राज0।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / जिला परियोजना समन्वयक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राज0

(एमएमएस उदावत)
उपनिदेशक,सां0

D:\Dixit\Sanjeev\Transport Voucher

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना– दिशा–निर्देश

1.0 प्रस्तावनाः–

1.1 वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को विद्यालय में अध्ययन हेतु उनके निवास स्थान से 5 किमी. से अधिक दूरी से आने पर अधिकतम 20 रूपये प्रति छात्रा प्रति विद्यालय उपस्थिति दिवस या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। योजनान्तर्गत बालिका एकल व सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का लाभ ले सकती है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साईकिल योजना अन्तर्गत लाभान्वित कराया जा रहा है। छात्रा उक्त दोनों योजनाओं में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है।

1.2 राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछडे ब्लाक्स में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलो की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2014–15 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाक्स में 66 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलो का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है,वर्ष 2015–16 से 5 अतिरिक्त मॉडल स्कूलों का संचालन प्रारंभ किया जायेगा।

1.3 पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में आसपास के गांवों/ढाणियों से कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाएं भी अध्ययन हेतु आयेंगी।

1.4 मा. मुख्यमंत्री महो. द्वारा वर्ष 2015–16 की बजट घोषणा सं. 102 में वर्ष 2015–16 से पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में उसी पंचायत समिति की बालिकाओं को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दिये जाने की घोषणा की गई है।

1.5 अतः वर्तमान में संचालित ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में आंशिक संशोधन करते हुये वित्तीय वर्ष 2015–16 से निम्नानुसार नवीन ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना लागू की जाती है:–

2.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता

2.1 पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत निम्नलिखित श्रेणी की बालिकाएं योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी –

i. उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की 2 कि.मी से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाएं।

ii. उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की 5 कि.मी सें अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाएं।

2.2 ग्रामीण क्षेत्र के अन्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाऐं।

2.3 साईकिल योजना के तहत लाभान्वित होने वाली बालिकाऐं योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।

3.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत स्वीकृत राशि की दर

i स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु –

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 6 से 8	2 किमी से अधिक	20 रूपये
कक्षा 9 से 12	5 किमी से अधिक	25 रूपये

ii ग्रामीण क्षेत्र के अन्य राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु –

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 9 से 12	5 किमी से अधिक	20 रूपये

4.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन

4.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति(SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)के द्वारा किया जावेगा।

4.2 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति(SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा आवश्यकतानुसार छात्राओं का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षिणक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिए किराए के वाहन से स्थानीय सामूहिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जावेगी।

4.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट के लिए मासिक किराये का निर्धारण करके ट्रांसपोर्ट सुविधादाता से अपने स्तर पर बिन्दू संख्या 3 में दर्शाई गई राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक

है तो जनसहभागिता/भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जावेगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह/जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित छात्राओं के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।

4.4 अभिभावक द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेने की स्थिति में लिखित में आवेदन प्रस्तुत करने पर छात्राओं को बिन्दू संख्या 3 में वर्णित अनुसार अधिकतम राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

5.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबंधन

5.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को चार त्रैमासिक किश्तों में राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

5.2 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)को राशि की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगीं।

6.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया

6.1 बिन्दु सख्या 2 के अनुसार पात्र छात्राओं /उनके अभिभावकों द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

6.2 संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों की जांच कर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ देने हेतु निर्णय कर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) को अवगत कराया जायेगा।

6.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) /विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने पर ट्रांसपोर्ट सुविधा दाता को व्यवस्था के अनुसार निर्धारित राशि का एक मुश्त मासिक भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से नियमानुसार किया जावेगा।

6.4 यदि छात्राओं द्वारा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अपने स्तर से की जाती है तो विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) /विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा वास्तविक किराया अथवा बिन्दू संख्या 3 में वर्णित अनुसार राशि जो भी कम हो, उसका एक माह का अग्रिम भुगतान छात्राओं को किया जा सकेगा।

6.5 छात्राओं को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन स्वीकृत राशि की सीमा के तहत अगले माह में किया जावेगा।

7.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण

7.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण निम्नानुसार किया जायेगा –

(i) राज्य स्तर – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा।

(ii) जिला स्तर – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति द्वारा।

(iii) विद्यालय स्तर– विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) / विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा।

4

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र

1. छात्रा का नाम :
2. पिता / अभिभावक का नाम :
3. विधालय का नाम :
4. कक्षा :
5. निवास स्थानः
6. निवास स्थान से विद्यालय की दूरीः
7. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्पः

   (i) विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/

   विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के माध्यम से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था

   या

   (ii) स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था

8. अन्य जानकारी (जो देना चाहे)

(अभिभावक के हस्ताक्षर) **(छात्रा के हस्ताक्षर)**

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/छा.व.प्र/ट्रावा/2015 दिनांकः 28.04.2015

समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान
समस्त शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक

विषयः— <u>ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना — दिशा निर्देश</u>

राज्य सरकार के पत्र कमांक प.1(16)शिक्षा—1/2007 दिनांक 21.4.2015 के कम में ट्रासपोर्ट वाउचर योजना के दिश निर्देश आयोजना विभाग की आई डी सं0 55 दिनांक 9.4.2015 निम्नानुसार एवं वित्त (व्यय—1) विभाग की आई डी सं0 10.1501292 दिनांक 20.04.2015 के क में जारी दिशा निर्देश सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1.0 प्रस्तावनाः—

1.1 मा. मुख्यमंत्री महो. द्वारा वर्ष 2015—16 की बजट घोषणा सं. 102 में वर्ष 2015—16 से पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में उसी पंचायत समिति की बालिकाओं को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दिये जाने की घोषणा की गई है। इस कम में वर्तमान में संचालित ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में आंशिक संशोधन करते हुये वित्तीय वर्ष 2015—16 से निम्नानुसार नवीन ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना लागू की गई है ।

2.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता

2.1 पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत निम्नलिखित श्रेणी की बालिकाएं योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी —

i. उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की 2 कि.मी से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाएं।
ii. उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की 5 कि.मी सें अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाएं।

2.2 ग्रामीण क्षेत्र के अन्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की 5 किमी. से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाऐं।

2.3 साईकिल योजना के तहत लाभान्वित होने वाली बालिकाऐं योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।

3.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत स्वीकृत राशि की दर

I स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु --

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 6 से 8	2 किमी से अधिक	20 रूपये
कक्षा 9 से 12	5 किमी से अधिक	25 रूपये

ii ग्रामीण क्षेत्र के अन्य राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु --

कक्षा	निवास स्थान से दूरी	अधिकतम दर (प्रति उपस्थिति दिवस)
कक्षा 9 से 12	5 किमी से अधिक	20 रूपये

4.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन

4.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति(SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)के द्वारा किया जावेगा।

4.2 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति(SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा आवश्यकतानुसार छात्राओं का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षिणक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिए किराए के वाहन से स्थानीय सामूहिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जावेगी।

4.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट के लिए मासिक किराये का निर्धारण करके ट्रांसपोर्ट सुविधादाता से अपने स्तर पर बिन्दू संख्या 3 में दर्शाई गई राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक है तो जनसहभागिता/भामाशाह से अंतर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जावेगा। अंतर की राशि किसी भामाशाह/जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित छात्राओं के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।

4.4 अभिभावक द्वारा सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं लेनें की स्थिति में लिखित में आवेदन प्रस्तुत करने पर छात्राओं को बिन्दू संख्या 3 में वर्णित अनुसार अधिकतम राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जायेगा।

5.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का वित्तीय प्रबंधन

5.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को चार त्रैमासिक किश्तों में राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

5.2 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC)को राशि की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।

6.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया

6.1 पात्र छात्राओं /उनके अभिभावकों द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

6.2 संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों की जांच कर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ देने हेतु निर्णय कर विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/ विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) को अवगत कराया जायेगा।

6.3 विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) /विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने पर ट्रांसपोर्ट सुविधा दाता को व्यवस्था के अनुसार निर्धारित राशि का एक मुश्त मासिक भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से नियमानुसार किया जावेगा।

6.4 यदि छात्राओं द्वारा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अपने स्तर से की जाती है तो विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) /विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा वास्तविक किराया अथवा बिन्दू संख्या 3 में वर्णित अनुसार राशि जो भी कम हो, उसका एक माह का अग्रिम भुगतान छात्राओं को किया जा सकेगा।

6.5 छात्राओं को दी गई अग्रिम राशि का समायोजन स्वीकृत राशि की सीमा के तहत अगले माह में किया जावेगा।

7.0 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण

7.1 ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण निम्नानुसार किया जायेगा –

(i) राज्य स्तर – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा।

(ii) जिला स्तर – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निष्पादक समिति द्वारा।

(iii) विद्यालय स्तर– विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) /विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा।

8.0 **योजना का प्रचार प्रसार** – फील्ड स्तरीय कार्मिकों की सामयिक बैठकों, कार्यशाला में एवं वाकपीठों की माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने से

बालिका शिक्षा में वृद्धि के साथ–साथ पारदर्शिता को भी बल मिलेगा ।

संलग्नः प्रार्थना पत्र प्रारूप :

(सुवालाल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक मा. शिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान, जयपुर
4. एस.ए. कार्यालय हाजा को राजशिक्षा में अपलोड करवाने हेतु ।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत लाभ लेने हेतु प्रार्थना पत्र

1. छात्रा का नाम :
2. पिता/अभिभावक का नाम :
3. विधालय का नाम :
4. कक्षा :
5. निवास स्थानः
6. निवास स्थान से विद्यालय की दूरीः
7. ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु विकल्पः

   (i) विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/
   विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के माध्यम से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था

   या

   (ii) स्वयं के स्तर पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था

8. अन्य जानकारी (जो देना चाहे)

(अभिभावक के हस्ताक्षर) (छात्रा के हस्ताक्षर)